

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।

पत्रांक: 1308 / वाद संख्या-आर-0961 / 2023

दिनांक 07/08 / 2023

सेवा में,

पुलिस क्षेत्राधिकारी,
ऋषिकेश।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक-1258/वाद संख्या-आर-0961/2023 दिनांक 31-07-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें श्री हटवाल / हितबद्ध व्यक्ति, गली नं०-4 वैदिक डेयरी के सामने, निर्मल ब्लाक-बी, ऋषिकेश, जिला देहरादून में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माण करने पर किया गया अनधिकृत निर्माण जो दिनांक 02-08-2023 को सीलबन्द किया जाना था, स्थल पर निर्मित अवैध भवन के भूतल में ताला लगा होने व प्रथम एवं द्वितीय तल में जाने हेतु रास्ते का कोई अन्य विकल्प न होने के कारण सीलबन्द की कार्यवाही नहीं हो सकी है। प्रश्नगत अवैध निर्माण को पुनः दिनांक 09/08/2023 को सीलबन्द किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को अवैध निर्माण की सील कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को पर्याप्त पुलिस बल (महिला व पुरुष) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय


उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल (महिला व पुरुष) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. श्री हटवाल / हितबद्ध व्यक्ति, गली नं०-4 वैदिक डेयरी के सामने, निर्मल ब्लाक-बी, ऋषिकेश, जिला देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नियत तिथि में स्थल पर उपस्थित रहें अन्यथा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

3. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

28/8/23

28/8/23




उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।